राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

जयपुर, दिनांक : 04.01.2020

क्रमांक : प. 1(71)एमई / ग्रुप–1 / 90

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य, शिशु औषध के पद पर पे–मेट्रिक्स में लेवल 16 (67300–195000) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते है। यह चिकित्सक पूर्व से ही नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन भत्ते देय होगें :–

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी	मेरिट क्रमांक	जन्म तिथि	वर्ग	मेडिकल कॉलेज
1.	डॉ. शिवलाल मीना S/o श्री रामलाल मीना, C/o श्री एच.एल. मीना, 56–जैम एनक्लेव, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) –302017	M-12	21.2.1986	अनुसूचित जनजाति	कोटा

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क–2 / 2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त / नियम / 97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग की आई.डी. संख्या 267, दिनांक 03.4.2019 एवं वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या–151900897, दिनांक 25.11.2019 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में प्रदान की जाती है।

आदेश से,

04.01.2020

(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव

क्रमशः–2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(40)भर्ती / गोपनीय / 2014 —15 / 291 दिनांक 07.09.2017 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
5. संबधित अभ्यर्थी को **रजिस्टर्ड डाक द्वारा।**
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

04.01.2020

शासन उप सचिव